क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय, के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर

Phone: 02988-225923 Website www.rpcb.nic.in, Email ro.balotara@gmail.com

राप्रनिमं / क्षे.का. / बालोतरा / सामा. / 531 दिनांकः 19-06-2019

श्रीमान ए.सी.पी. (आई.टी. सेल)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
जयपुर।

विषयः– अनुबंध पर कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (02), प्रयोगशाला परिचारक / सहायक (01) एंव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (01) लेने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा संख्या 01 / 2019–20 निवीदा को बोर्ड वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (कुल संख्या 02), प्रयोगशाला परिचारक / सहायक (01) एंव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (01) लेने की निविदा संख्या 01 / 2019–20 इस कार्यालय के पत्रांक 519–20 दिनांक 18.06.2019 द्वारा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा का नियमानुसार SPPP पर दिनांक 18.06.2019 को अपलोड कर दिया गया है,

अतः श्रीमान जी से निवदेन है कि निवीदा को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें

भवदीय

(विनय कट्टा)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्न : खुली निवदा सूचना।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

कमांकः राप्रनिम / क्षे.का.बालोतरा / सा.मा. / 519 दिनांक 18.06.19

खुली निविदा सूचना सं. 01/2019–20

इस कार्यालय के अंतर्गत वर्ष 2019–20 के लिये अनुबंध के आधार पर कार्य कराने हेतु अनुभवी जी.एस.टी. पंजीकृत संस्थाओं से डबल कवर सिस्टम के अंतर्गत मुहरबन्द निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है–

क.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	अमानत राशि	प्रतिभूति राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोले जाने की अंतिम तिथि
1.	02 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन	470000रू.	500 रू.	9500रू.	23500रू.	28/06/2019 (01:00 PM)	28/06/2019 (03:00PM)
2.	1 प्रयोगशाला परिचारक / सहायक						
3.	1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी						

उपरोक्त निविदायें दिनांक 18/06/2019 से 28/06/2019 तक किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10:00 से सायंः 06:00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 28/06/2019 तक सांय 1:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करा सकते है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते विभागीय वेबसाईट http:/www.rpcb.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। निविदा फार्म वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है। निविदा शुल्क की राशि नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट (सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय बालोतरा) द्वारा जमा कराई जा सकती हैं जिसकी रसीद अथवा डिमांड ड्राफ्ट (मूल) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। अमानत राशि के लिये डिमाण्ड ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे, जो कि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय बालोतरा (PAYABLE AT BALOTRA) के नाम से निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(विनय कट्टा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान ए.सी.पी. (आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि टेण्डर बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(विनय कट्टा)
क्षेत्रीय अधिकारी

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने, बालोतरा, बाडमेर (राज.)

E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

–: तकनीकी बोली प्रपत्रः–

(लिफाफा न0 1)

कार्य का नाम– कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (दो), प्रयोगशाला परिचारक/सहायक (एक), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (एक)

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा की बोली सूचना संख्या– ....दिनांक.........................
2. बोलदाता/संवेदक का नाम ....
3. डाक का पता ....
   ....
4. फोन/मोबाईल नं. ....
5. ई–मेल ....
6. बैंक का नाम ....
   आईएफसी कोड ....
   खाता संख्या ....
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा
8. बोली शुल्क रूपये : (1) 500/–रू. (पॉच सौ मात्र)
   (2) जमा रसीद संख्या..................दिनांक........
   डीडी कमांक...........................दिनांक............
   राशि......................(डी.डी. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय बालोतरा (PAYABLE AT BALOTRA) के पक्ष मे देय होगा।)
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार है, तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई है।
11. बोली अमानत राशि सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक मण्डल, देय बालोतरा (PAYABLE AT BALOTRA) के पक्ष रूपये 9500/– डीडी कमांक........................... दिनांक .... निम्नानुसार संलग्न है।
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरें बोली स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

13. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरणों का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगीः—

क.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970। (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 50रू. के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8.	प्रामाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				

14. मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना कमांक........................दिनांक.......................में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

15. संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..
मोबाईल नं...

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,

बालोतरा, बाडमेर (राज.)

E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

प्राईस शिड्यूल (वित्तीय बोली लिफाफा नं.2)

कार्य का नाम– कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (दो), प्रयोगशाला परिचारक/सहायक (एक), चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (एक)

क. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या			सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत 252000 104503 95000	ESI दर प्रतिशत	समग्री राशि/ उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (कुल संख्या 02)	उच्च कुशल	7774	02		नियमानुसार	नियमानुसार			
2.	प्रयोगशाला परिचारक/सहायक	कुशल	6474	01		नियमानुसार	नियमानुसार	लागू नहीं		
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल	5850	01		नियमानुसार	नियमानुसार	लागू नहीं		

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 5,8,9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी। स्तम्भ संख्या 3 में दर न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में, (0) शुन्य, एवं (–) ऋणात्मक में राशि स्वीकार नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम...

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

General Terms & Condition of Bid & Contract :

Important Instruction: - The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [hereinafter called the Act] and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules 2013 (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore the bidders are advice to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।
2. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी व वित्तीय निविदाओं को अलग–अलग उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफों पर "मैनपावर हायर किये जाने हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा" जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने, बालोतरा (राज.) को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।
3. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होगा चाहिये निविदाओं में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं करेकशन स्वीकार्य नहीं होगा।
6. निविदा फॉर्म के साथ निविदा शुल्क राशि रूपये 500/– नगद अथवा सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, देय बालोतरा (PAYABLE AT BALOTRA) के पक्ष में अनुसूचित बैंक में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। SPPP पोर्टल से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ भी निविदा शुल्क देय होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं होगा।
7. अमानत राशि रू 9500/- का डी. डी. प्रस्तुत करना होगा इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं होगा यह राशि सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडल, देय बालोतरा के पक्ष में अनुसूचित बैंक में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी।
8. अमानत राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाताओं को सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश की आपूर्ति के पश्चात् लौटाई जायेगी।
9. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस अनुबन्ध की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत करनी होगी।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाड़मेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

10. विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
11. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानो की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित निविदादाता/संवेदक का होगा।
12. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता/संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
13. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता/द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते मे जमा कराई गई राशि का विवरण इस कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातो मे जमा कराई गई राशि के विवरण से अद्योहस्ताक्षरकर्ता की संतुष्टि पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
14. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
15. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजूदरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
16. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता/संवेदक का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता/संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
17. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Board लगाये जायेगे, जिन पर निविदादाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु Helpline नम्बर एवं निविदादाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जाएगा।
18. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई. एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
19. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

निविदादाता/संवेदक की ही होगी। निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) राशि की जमा कराने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।

20. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में इसके परिणामों/ दायित्वो के लिये निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उतरदायी होंगे। उक्त की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों एवं दायित्वों के लिए निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता ही जिम्मेदार होगा।
21. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उतरदायी होगा।
22. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन, छंटनी, पुलिस वेरिफिकेशन, मुआवजा आदि देने का समस्त उतरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
23. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
24. यदि निविदादाता/संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी।
25. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
26. कर्मचारियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नही करने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नही होगा। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने पर अनुबंधित निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
27. उक्त पदों की स्वीकृति मुख्यालय द्वारा आपेक्षित है। किसी कारण से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर निविदाएँ समाप्त (आंशिक अथवा पूर्ण) करने की शक्ति अधोहस्ताक्षर कर्ता में निहित होगी।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

28. सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के कम में अति. महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्यां में कर्मचारी उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
29. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत को कम करता है तो उस संविदा के अधीन, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः इस कार्यालय में कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
30. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदांए उसी कीमत, निबंधनों और शर्तो पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमत इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
31. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथी से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
32. क्षैत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा निविदादाता द्वारा जमा कराये गये प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।
33. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नही देगा।
34. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
35. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 7 दिन मे कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
36. मूल्यांकन की कसौटी–बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
37. बोली का अपवर्जनः– अधिनियम की धारा 25 मे उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
38. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–
(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन मे सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रुप में ड़िमान्ड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, देय बालोतरा के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रुपये के नॉन–ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम निर्धारित एस.आर. प्रारुप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा मे बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम मे समायोजित की जा सकती है या लोटाई जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पुनः रकम की कार्य सम्पादन की प्रतिभूति राशि दे देता है ।
(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

39. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (**Forfeiture of Work Performance Security Deposit**):–

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रुप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
(ख) जब बोलीदाता सम्पर्ण सेवा सप्लाई सन्तोशजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने मे असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

40. भुगतानः–

(i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारुप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस मे प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान मे होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। नियमानुसार आयकर एवं GST कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।

41. परिनिर्धारित क्षतिः– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रति□ात के आधार पर उन स्टोर के मुल्यों के लिए की जायेगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए–2.5%
(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए –5%
(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित सुपुर्दगी के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए–7.5%
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए–10%
(ड) विलम्ब कि अवधि में एक चौथाई से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।
(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तार्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय न कि सप्लाई करने पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

42. बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता है :–

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, बालोतर, जिला बाडमेर

E-mail:- ro.balotara@gmail.com

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...
मोबाईल नं.......................................

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की सेवायें किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्तें:–

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाड़मेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

(i) कम्प्यूटर ऑपेरटर को विडोंज/लाईनेक्स एन्वायरमेंट ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व

इंटरनेट का ज्ञान /अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यों का निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग में दक्ष होना आवश्यक है।

(ii) कम्प्यूटर ऑपेरटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक/स्नाकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

(iii) कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।

1. मशीनों का विवरण:– निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक है।

(i) Computer-Intel Core i3/Equivalet AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB OR higher, Hard disk 250GB or more 15'' Monitor/TFT or biggar 10/1001000Mbps Lan card, cd/DVD writer standards keyboard, optical mouse, standard serial, parallel & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.

(ii) Printer:-Black and White laser printer with speed 15ppm or more, for specific needs, Do matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

(iii) UPS:- Online/Offline UPS for abve Computer and printer with 30 minutes battery backup.

1. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरंत इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य संपादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेंगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र F2-(1)SPFC/2017 Dated 30.04.2018 के अनुरूप होगी।
4. यह कि किसी माह में चार कार्य दिवस अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जावेगा इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने तक चाहे ऑपरेटर की गैर हजारी के कारण या अन्य किसी भी खराबी के कारण हो तो प्रतिदिन 300/– की कटौती की जावेगी।
5. यदि कम्प्यूटरों की चोरी या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः निविदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
6. कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुये किसी भी दिन किसी भी समय ऑपरेटर को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेंगा।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

7. कोई भी कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित नहीं रहेगा और यदि वह अनुपस्थित रहता है तो निविदादाता को उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय में भिजवााना अनिवार्य होगा।
8. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की संख्या में कमी/वृद्वि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...
मोबाईल नं.......................................

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

2. प्रयोगशाला परिचारक/सहायक हेतु शर्ते :—

1. (i) प्रयोगशाला परिचारक/सहायक स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना आवश्यक है।
(ii) प्रयोगशाला परिचारक/सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी (PCM) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
(iii) प्रयोगशाला परिचारक/सहायक 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1. किसी भी प्रयोगशाला परिचारक/सहायक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य प्रयोगशाला परिचारक/सहायक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
2. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
3. निविदादाता के प्रयोगशाला परिचारक/सहायक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चौरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
4. प्रयोगशाला परिचारक/सहायक के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना—दूर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
5. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
6. प्रयोगशाला परिचारक/सहायक का कार्य कुशल न होने , अनुशासन में नहीं रहने , लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
7. उपलब्ध कराये गये प्रयोगशाला परिचारक/सहायक के फोटो पहचान पत्र तथा उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी (PCM) पास का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
9. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
10. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम बालोतरा का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
11. सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र , बालोतरा न्यायालय ही रहेगा।
12. नियमानुसार कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
13. किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदाता का होगा।
14. किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
15. प्रयोगशाला परिचारक/सहायक घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
16. राज्ज सरकार द्वारा प्रयोगशाला परिचारक/सहायक के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी आदेशों /नियम निविदाता को मान्य होगे।
17. प्रयोगशाला परिचारक/सहायक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड , वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण—पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..
मोबाईल नं..................................

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाड़मेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु विशिष्ट नियम एवं शर्तेः–

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
3. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
4. निविदादाता के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चौरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दूर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
6. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य कुशल न होने , अनुशासन में नहीं रहने , लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
8. उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के फोटो पहचान पत्र एवं 8वीं पास का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
10. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
11. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम बालोतरा का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
12. सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र , बालोतरा न्यायालय ही रहेगा।
13. नियमानुसार आयकर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
14. किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
15. किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
16. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घटाने बढ़ाने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
17. राज्ज सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेशों /नियम निविदादाता को मान्य होगे।
18. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड , वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र तथा कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...
मोबाईल नं.....................................

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. निविदा दाता का नामः..
2. मोबाइल नम्बरः..
3. Mail ID :- ....
4. डाक का पताः...
   ....
5. टेलीफोन नम्बर (दुकान) ....

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

Annexure-A

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तो का मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्ट्रर्ड है वास्तव में बोली मे चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा **46** एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नही है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रुप में समपह्वत कर दिया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय मोहर

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के सामने,
बालोतरा, बाडमेर (राज.)
E-mail ID- ro.balotara@gmail.com

Annexure: B

Declaration by the bidder regarding Qualifications

Declaration by the bidder

In relation to my/our bid submitted to Regional officer, RSPCB, Balotra for procurement of service of Computer opretor, Field assistant, Lab attentend, Peon, and Sweeper in response to their notice inviting Bid No ……………… Dated ……………… I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/We do not have and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Signature of bidder

Date:

Name:

Designation:

Place:

Address: